न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 274/2011
प्रविष्टि दिनांक 02.11.2011

मोत्या देवी पत्नि श्योजीलाल जाति गुर्जर निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक राज0

..... प्रार्थी

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री पवन कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री रामधन सैनी व श्री दीपक शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

दिनांक 01.08.2024

निर्णय

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम संथली तहसील देवली की भूमि ख0नं0 1564 में 900 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा बारानी–2 का निर्धारण किया गया है। अतः अवार्ड दिनांक 25.06.2010 को निरस्त कर दुकान,गेलेरी,बरामदा व मन्दिर का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 1966/09 दिनांक 25.06.2010 तलब की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र/लिखित बहस मे अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1564 मे से कुल रकबा 900 वर्गमीटर वाके ग्राम संथली मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी

आरबीट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी–2 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। प्रार्थी दुकान,गेलेरी,बरामदा व मन्दिर का मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नही है। अवाप्ताधीन भूमि मे उपलब्ध निर्माण/सरंचनाओ के मूल्याकंन के कार्य Govt. Approved Valuer द्वारा कराया गया तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियो से वेट करवाया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थीया की भूमि ख0न0 1564 मे से 900 वर्गमीटर,किस्म बारानी–2 वाके ग्राम संथली का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है।

अभिभाषक प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 5 मे एन.एच–12 मे जाने वाली सम्पत्ति का मौके पर मौजूद निर्माण/संरचना के अनुसार सर्वे नही किया गया है,केवल मकान अंकित कर सर्वे रिपोर्ट बना दी गई है,जबकि मौके पर मकान के साथ–साथ दुकान,गेलेरी,बरामदा व मन्दिर भी बना हुआ है,जिनका सर्वे नही किया गया है और ना ही इनका मुआवजा दिया गया है का उल्लेख किया है। प्रार्थीया द्वारा इनकी तायद मे फोटोग्राफ तत्समय ही सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे,जो अवार्ड पत्रावली के साथ संलग्न पत्रावली मे है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक को तत्समय ही दुकान,गेलेरी,बरामदा व मन्दिर का भी सर्वे करवाना चाहिये था। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब के चरण संख्या 14 मे आराजी खसरा नम्बर 1564 मे स्थित संरचना मकान का ही मुआवजा निर्धारित किया जाना अंकित किया है,जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थीया को दुकान,गेलेरी,बरामदा व मन्दिर का मुआवजा नही दिया गया है। अवार्ड पत्रावली मे संलग्न सर्वे प्रपत्र मे भी तहसीलदार देवली ने खसरा नम्बर 1564 मे मकान व दूकाने बनी हुई है का उल्लेख किया है। उपरोक्त विवेचन से जाहिर होता है कि प्रार्थीया को मकान का ही मुआवजा दिया गया है। ऐसी स्थिति मे कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 25.06.2010 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा पारित अवार्ड संख्या 1966/2009 दिनांक 25.06.2010 को प्रार्थीया की हद तक निरस्त किया जाता है तथा

अतिरिक्त कलेक्टर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)

प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर,स्वंय मौका निरीक्षण कर पुनः नियमानुसार अवार्ड पारित करे।

निर्णय आज दिनाक 01.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
आरएएस एन.एच.–12
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)